गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 572/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 26/08/2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
Subject :- Dispatch of minutes of 219th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 26-08-2025.

–––0–––

महोदय/महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 219th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 26-08-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 573/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 26/08/2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज़ सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	प्रो0 सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
12.	प्रो0 बी.डी. मिश्रा	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
15.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
16.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
17.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ0 सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
24.	प्रो0 आलोक कुमार सिंह कुशवाहा, निदेशक, एमएमटीटीसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
25.	प्रो0 आर.के. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, यांत्रिकी	विशेष आमंत्रित सदस्य
26.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
27.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, निदेशक, ओडीएल

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिया गया तथा कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

Ranadive
26-08-2025

26/08/2025

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 21.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 21.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आई.सी.टी. सुविधा एवं संसाधन सृजन संबंधी विषय क्रमांक अ.अ.वि.क्र.–01 की सूची में चार नये विभागों रसायन विभाग, भौतिकी विभाग, फार्मेसी विभाग एवं शिक्षा विभाग को शामिल कर लिया जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 21.08.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 21.08.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **संस्कृत अध्ययन केन्द्र के संचालन हेतु डॉ0 नेहा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावानुसार संस्कृत अध्ययन केन्द्र के संचालन हेतु डॉ0 नेहा मिश्रा को नियुक्ति प्रदान की जाय।

विषय क्र. 04. **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 10.07.2025 द्वारा अनुशंसित NEP based B.Tech Artificial Intelligence एवं B.Tech Animation & VFX की 1st and 2nd Semester का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 10.07.2025 द्वारा अनुशंसित NEP based B.Tech Artificial Intelligence एवं B.Tech Animation & VFX की 1st and 2nd Semester का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति संवर्ग से संबंधित अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए एक–एक बालक एवं बालिका छात्रावास प्रत्येक 500 क्षमता के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं प्रस्तावित धनराशि रूपये 99.96 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को आदिम जाति विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष गुरू घासीदास विश्वविद्यालय ने भारतीय जैन संघटना के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा योजना प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमती प्रदान की जाय तथापि उक्त योजना के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं नीति का प्रारूप प्रारूपित कर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

26.08.2025

26/08/2025

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में सामाजिक सरोकार से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा उक्त के संबंध में नियंत्रक अधिकारी/विभाग निर्धारण पर चर्चा की गई। विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न सामाजिक सरोकार योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए नियंत्रक एवं समन्वयक अधिकारी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

अ.अ.वि.क्र .04 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष कन्सलटेन्सी मद से स्वावलम्बी छत्तीसगढ़ योजना के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान मानदेय प्रदान किये जाने तथा अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं कन्सलटेन्सी प्रोजेक्ट में सेवारत् विद्यार्थियों को प्रस्तावानुसार मानदेय/पारिश्रमिक प्रदान किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .05 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में कार्यरत् 60 वर्ष से अधिक आयु के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के सेवा से पृथककरण संबंधी विषय प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत विषय में यह उल्लेखित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनकी सेवाएं समाप्त किये जाने की कार्यवाही पर विचार किया जाय। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं 60 वर्ष पूर्ण करने पर समाप्त कर दी जाय तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त आगे ऐसे कर्मियों से सेवाएं न ली जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे दैनिक वेतन भोगी जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है की सेवाएं समाप्त करने संबंधी कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष कुलपति महोदय का विभिन्न विद्यापीठों के शिक्षकों के साथ वार्ता संबंधी योजना का प्रस्ताव निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति के सदस्य प्रो0 एच.एस. तिवारी ने उक्त योजना का नाम रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रो0 राजेन्द्र मेहता, अधिष्ठाता–अंतरविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विद्यापीठ ने प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया। विचारोपरान्त विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव एवं इस योजना का नामकरण "स्पंदन योजना" किये जाने का अनुमोदन किया।

अ.अ.वि.क्र .07 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष स्थायी समिति की सदस्या प्रो0 सीमा राय ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के विभिन्न सामाजिक सरोकार योजनाओं में अपना बहुमूल्य समय लगाकर सेवाएं दे रहे हैं को उनके सहयोग तथा शैक्षणेत्तर कार्यों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाय। प्रो0 एच.एस. तिवारी ने प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के विभिन्न सामाजिक सरोकार योजनाओं में अपना बहुमूल्य समय लगाकर सेवाएं दे रहे हैं को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाय तथा इस हेतु आगामी कार्यवाही का दायित्व प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को प्रदान किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Rancdive 26/08/2025

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**